पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (II) य[1] –30 / 2007–

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/ पटना, दिनांक

विषय– विभागान्तर्गत राजकीय महिला पोलिटेकनिक, फुलवारीशरीफ, पटना में A.I.C.T.E. के मापदण्ड के आलोक में क्रय किये गए अग्नि सुरक्षा उपकरणों के लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु कुल रू॰ 3,25,000=00 (तीन लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, फुलवारीशरीफ, पटना के पत्रांक–13, दिनांक 08.01.2019 द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर संस्थान में A.I.C.T.E. के मापदण्ड के आलोक में क्रय किये गए अग्नि सुरक्षा उपकरणों के लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु कुल रू॰ 3,25,000=00 (तीन लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष– 2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष– 00, लघुशीर्ष– 105–बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0106– प्रमाण पत्र पाठ्क्रम" के अधीन 13 01 कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में द्वितीय अनुपूरक से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 43-2203001050106 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, फुलवारीशरीफ, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी।

5. उक्त राशि से बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किये गए सामग्रियों का भुगतान किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की गई उपकरणों की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होगें तथा क्रय की उपकरण की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। क्रय की गई सामग्रियों की प्रविष्टि संस्थान के भंडार पंजी में करना प्राचार्य सुनिश्चित करेगें। प्राचार्य इसे सत्यापित करेंगे तथा इसके रखरखाव की जिम्मेवारी प्राचार्य की होगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 / वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰ / –

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (II) य[1] –30/2007– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (II) य[1] –30/2007– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (II) य[1] –30/2007– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, फुलवारीशरीफ, पटना को उनके कार्यालय पत्रांक–13, दिनांक 08.01.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (II) य[1] –30/2007– 709 /पटना, दिनांक– 23-2-019

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.2.19
सरकार के उप सचिव